

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या-15/परिवाद (सुपौल) 12-395/2024-

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

परिवादी श्री सूर्य नारायण प्रसाद, पिता-स्व0 शिव नन्दन यादव, ग्राम+पो0-नौआबाखर, थाना-किशनपुर, जिला-सुपौल से प्राप्त परिवाद पत्र द्वारा श्रीमती सुशीला कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, किशनपुर, सुपौल के विरुद्ध वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में लम्बे अवधि के बाद दाखिल-खारिज वाद सं0 2083/2023-24, 2238/2023-24, 2399/2023-24, 2409/2023-24, 2703/2023-24, 2773/2023-24 जो लगभग छः महीने के उपरान्त स्वीकृति दी गयी एवं लम्बी अवधि के बाद अस्वीकृत कतिपय दाखिल-खारिज वाद सं0 2036/2023-24, 2144/2023-24, 2383/2023-24, 2384/2023-24, 2398/2023-24, 2401/2023-24, 2768/2023-24, 2769/2023-24 जो लगभग छः महीने के उपरान्त अस्वीकृत किया गया तथा कतिपय दाखिल-खारिज वाद सं0 595/2024-25, 596/2024-25, 600/2024-25, 738/2024-25, 744/2024-25, 752/2024-25, 755/2024-25 जो आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद ही स्वीकृति देने जैसे आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित शिकायतों के आलोक में विभागीय पत्रांक-60(15) दिनांक-16.01.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा कार्यालय पत्रांक-272 दिनांक-30.01.2025 से स्पष्टीकरण-विभाग-में समर्पित किया गया।

3. प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय अनुश्रवण कोषांग के प्रतिवेदन के आधार की गयी समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक रहने की स्थिति में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-849(15), दिनांक-17.06.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक-30.06.2026 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी को "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक" का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती सुशीला कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, किशनपुर, सुपौल सम्प्रति अंचल अधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(v) के तहत को "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ई-मेल/
निबंधित

ज्ञापांक:-15/परिवाद (सुपौल) 12-395/2024-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, मुजफ्फरपुर एवं सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर एवं सुपौल/श्रीमती सुशीला कुमारी, अंचल अधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

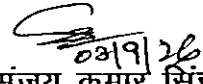
ह०/-

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-15/परिवाद (सुपौल) 12-395/2024-.....1425.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....03/9/24.....

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना(मूल प्रति में)/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई०टी०/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्रीमती सुशीला कुमारी के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा-15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।


(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।